

कायालिय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, ठ0प्र0, बाँदा
पत्रांक २०४८ / ३३-१ / दिनांक: बाँदा: दिसम्बर २५, २०१९

से दे,

**मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
 जम्मू लखनऊ ।**

विषय :- जनपद-हमीरपुर में बिलरायाँ-पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या-21) के चैनेज 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 49.32 हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-1090/11-सी-FP /UP/ROAD /41235 /दिनांक 02.12.2019 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग का पत्रांक-1366/33-1 रोड दिनांक 18.12.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा 08 बिन्दुओं की लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निर्धारित टैबुलेशन फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित है।

क्रम संख्या	बिन्दुवार कमियाँ	बिन्दुवार अनुपालन आज्ञा
1.	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	याचक विभाग तथा अधोहस्ताक्षरी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र पृष्ठ सं0-132 पर संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑन लाइन भाग-2 के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	ऑन लाइन भाग-2 के अनुसार प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित वृक्षों का सारांश पृष्ठ सं0-22 से 23 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन ऑन लाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंपर्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) जिसमें वर्तमान Row तथा प्रस्तावित Row की माप दर्शाया गया हो संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंपर्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) पृष्ठ संख्या-142 पर संलग्न कर दिया गया है।
5	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिह्नित नहीं है।	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित व चिह्नित कर पृष्ठ संख्या-80 से 82 तक संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण-पत्र में 10 किमी० की परिधि महावीर स्वामी वन्यजीव सेन्चुरी का उल्लेख है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित स्थल से सेन्चुरी कितनी दूरी पर है तथा (Eco Sensitive Zone) की परिधि के बाहर है, अथवा नहीं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।	प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी का संशोधित प्रमाण-पत्र पृष्ठ संख्या-129 पर संलग्न कर दिया गया है।

क्रमशः २ पर

7	हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग-2 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित हार्ड कापी भाग-2 के प्रस्ताव में संलग्न कर ऑन लाइन भाग-2 अपलोड करें।	हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग-2 के अनुसार संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है पृष्ठ संख्या-14 से 16 पर संलग्न है।
8	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-130 पर संलग्न प्रमाण-पत्र पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-130 पर संलग्न प्रमाण-पत्र प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

अतः संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में ऑनलाइन कर हार्ड कापी सहित आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार 03 प्रतियों में।

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)

वन संरक्षक

चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग को उनके पत्र सं-1366/33-1 रोड दिनांक 18.12.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)

वन संरक्षक

चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक १३६६ /३३-१रोड/ दिनांक, हमीरपुर, दिसम्बर, १८

, 2019.

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त
उ०प्र०, बॉदा।

विषय:—जनपद—हमीरपुर में बिलरायौं—पनवाड़ी मार्ग (राजमार्ग संख्या—21) के चैनेज 399.600 से 427.00 (चिकासी से राठ) तक 4—लेन में चौड़ीकरण एवं सुदूर्धीकरण में प्रभावित 49.32 हेठो संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक—1090/ 11—सी—FP /UP/ROAD /41235 /दिनांक 02.12.2019 एवं आपका पृष्ठांकन पत्रांक—1782/ 33—१ / दिनांक 03.12.2019.

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही आपकी सेवा में प्रेषित है।

क्रम संख्या	बिन्दुवार कमियाँ	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
1.	याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।	याचक विभाग तथा अधोहस्ताक्षरी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र पृष्ठ सं०—१३२ पर संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु ऑन लाइन भाग—२ के अनुसार व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	ऑन लाइन भाग—२ के अनुसार प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम सहित वृक्षों का सारांश पृष्ठ सं०—२२ से २३ पर संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का १० वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु ऑन लाइन भाग—२ के क्रमांक—१३(ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का पूर्ण प्राक्कलन ऑन लाइन भाग—२ के क्रमांक—१३(ii) में अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) जिसमें वर्तमान Row तथा प्रस्तावित Row की माप दर्शित नहीं है संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन (Liner Plan) पृष्ठ संख्या—१५ पर दर्शाया दिया है।
5	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित ट्रैकर द्वारा सत्यापित व चिह्नित नहीं है।	गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित ट्रैकर द्वारा सत्यापित व चिह्नित नहीं है।
6	प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रस्तावित वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण—पत्र में १० किमी० के परिधि महावीर स्वामी वन्यजीव सेन्चुरी का उल्लेख है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित स्थल से सेन्चुरी कितनी दूरी पर है तथा (Eco Sensitive Zone) की परिधि के बाहर है, अथवा नहीं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।	प्रस्ताव में कोई सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रस्तावित वनाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है, किन्तु प्रस्तावित सेन्चुरी का उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावित स्थल से सेन्चुरी कितनी दूरी पर है तथा (Eco Sensitive Zone) की परिधि के बाहर है, अथवा नहीं इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
7	हार्ड कापी भाग—२ में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग—२ के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित हार्ड कापी भाग—२ के प्रस्ताव में संलग्न कर ऑन लाइन भाग—२ अपलोड करें।	हार्ड कापी भाग—२ में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग—२ के अनुसार संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है पृष्ठ संख्या—१४ से १६ पर संलग्न है।
8	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—१३० पर संलग्न प्रमाण—पत्र पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या—१३० पर संलग्न प्रमाण—पत्र प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

संलग्नक:—प्रस्ताव की ४ प्रतियों रु०१०० सहित।

महोदय,

(नरन्द्र सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।